।। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून ।।

संख्या 2367 / आबकारी / वि0म0दु0–पुर्नव्यवस्थापन / 2026–27 / दिनांक सितम्बर 25, 2026

विज्ञप्ति

अधिसचूना संख्या–176/XXIII-1/2025-04(1)2025 देहरादूनः दिनांकः 05 मार्च,2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025–26 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 की शेष अवधि (दिनांक 26.09.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक) तथा वित्तीय वर्ष 2027–2 8 (दिनांक 01.04.2027 से दिनांक 31.03.2028 तक) हेतु जनपद देहरादून की **विदेशी मदिरा दुकान–शास्त्रीनगर, निकट रिस्पना पुल** का पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है, जिस हेतु उत्तराखण्ड राज्य के निवासी पात्र / इच्छुक आवेदको से निर्धारित राजस्व पर निम्न कार्यक्रमानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क. स.	प्रकिया का विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि व समय	दिनांक–26.09.2026 से दिनांक 03.10.2026 को अपराहन् 12:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून।
02	आवेदन पत्र परीक्षण की तिथि	दिनाक–03.10.2026
03	प्राप्त आवेदन पत्रो पर लॉटरी प्रकिया की तिथि व समय	दिनांक–04.10.2026 को अपराहन् 02:00 बजे से ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून।

दुकान का निर्धारित राजस्व निम्नवत हैः–

विदेशी मदिरा दुकान शास्त्रीनगर, निकट रिस्पना पुल हेतु अवशेष अवधि दिनांक 26.09.2026 से 31.03.2028 तक का राजस्व विवरण

क0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवशेष अवधि हेतु निर्धारित राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	एमजीडी (3–4)	माह सितम्बर 2026 का अधिभार	माह अक्टूबर 2026 से मासिक अधिभार / प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (5-6)/6	वांछित हैसियत की धनराशि निर्धारित राजस्व का 15%	धरोहर धनराशि निर्धारित राजस्व का 2%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शास्त्रीनगर (निकट रिस्पना पुल)	57373495	574000	56799495	1518705	9213465	8606025	3493163
		वित्तीय वर्ष 2027–28 निर्धारित राजस्व	नवीनीकरण शुल्क	अनुज्ञापन शुल्क	एमजीडी (10–12)	मासिक अधिभार / प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि	वांछित हैसियत की धनराशि निर्धारित राजस्व का 15%	
		10	11	12	13	15	16	
		117284668	410496	1173000	116111668	9675973	17592701	

उपरोक्त विदेशी मदिरा दुकान के निर्धारित पूर्ण राजस्व पर संचालन हेतु इच्छुक / पात्र आवेदक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, व निर्धारित जी–39 प्रारूप में हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित प्रमाण पत्र (मूल रूप में),स्थाई निवास प्रमाण पत्र, गत 02 वर्ष के आई.टी.आर.प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ विदेशी मदिरा दुकान हेतु प्रक्रिया शुल्क (आवेदन शुल्क) रू0 65,000 / –का बैंक ड्राप्ट (नॉन रिफडेंबल) जो कि

Scanned with OKEN Scanner

जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के पक्ष में देय हो, को निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून में जमा करवा सकते हैं।

विदेशी मदिरा दुकान से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **www.uttrakhandexcise.org.in** या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–3 ऋषिकेश के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

24/09/26

(के0पी0 सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
देहरादून

प्रतिलिपिः– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र **अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 26.09.2026 के उत्तराखण्ड संस्करण के न्यून स्पेस में शासकीय दर पर प्रकाशित करते हुये बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

24/09/26

जिला आबकारी अधिकारी,
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner